28.01.19

पत्रावली पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मसूरी ने रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम मसूरी के आराजीराज खसरा नम्बर 808 किस्म बंजड़ की 1.28 हैक्टर भूमि पर गैर सायल रामलाल पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी मसूरी द्वारा अतिक्रमण कर 0.28 हैक्टर पर मेथी की फसल काश्त कर ली है। प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज कर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया । बावजूद सूचना के गैरसायल अनुपस्थित रहा । अतः गैरसायल के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं भू.अ. निरीक्षक की जांच से यह प्रमाणित होता है कि गैरसायल ने ग्राम मसूरी की आराजीराज भूमि खसरा नम्बर 808 रकबा 1.28 हैक्टर पर अतिक्रमण किया है। अतः गैरसायल को उक्त भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अतिचारी द्वारा अतिक्रमण कर बोई गई फसल मेथी को कुर्क कर निलाम किया जावे तथा अतिचारी रामलाल पुत्र उमाराम जाति जाट को खसरा नम्बर 808 के अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर दिया जावे। सम्वत् 2075 वर्ष 2018–19 में किये गये अतिक्रमण के लिए अतिचारी पर शरहदी लगान का 50 गुणा रूपये 64/– अक्षरे रूपये चौसठ जुर्माना आरोपित किया जाता है।

भू.अभि. निरीक्षक साधासर को फसल कुर्क कर, निलाम कर फर्द निलामी वास्ते स्वीकृति पेश करने हेतु लिखा जावे। पंटवारी हल्का को जुर्माना वसूल करने एवं अतिचारी को अतिक्रमित रकबे से भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली वास्ते मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भेजी जावे । बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

(signature)

तहसीलदार (राजस्व)
नोखा

18-1 … 4
… 82 …
64/-
(initials)
… राजस्व लेखाकार